न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 आर्तिका शुक्ला (आई.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र – 37/2019

1. डेनियल पुत्र गैरवी
2. युसुफ पुत्र युनुस

समस्त निवासी कल्याणीपुरा सरकार स्कूल के पास रावत मौहल्ला तहसील व जिला अजमेर

बनाम

1. हिवल्ड पुत्र हनूक जाति ईसाई निवासी कल्याणीपुरा तहसील व जिला अजमेर
2. अनिल कुमार सैनी पुत्र ललित कुमार जाति माली निवासी नारीशाला के पास गढी मालियान रोड अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय अजमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश **दिनांक 09.09.2019**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण उपस्थित जिन्हें प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर सुना पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रार्थी के वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुये स्वीकार किया कि ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर स्थित खसरा नम्बर 2121 लगायत 2128, 2129/2776, 2130 लगायत 2137 कुल किता 17 कुल रकबा 2.550 हैक्टर है। उक्त वर्णित आराजीयात में वादी संख्या 1 डेनियल का 1/16 हिस्सा व वादी संख्या 2 युसुफ पुत्र युनुस का 1/8 हिस्से का मूल खातेदार काश्तकार है तथा अन्य खातेदार का निस्फ निस्फ हिस्सा है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी आराजी है जिस पर प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

से काबिज होकर शांतिपूर्वक काश्त करते चले आ रहे है तथा आज दिनांक तक भी प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी पर कब्जा एवं काश्त चला आ रहा है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण को विरासत में प्राप्त हुई है जिस पर विगत कुछ समय से अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदाजी व मदाखलत उत्पन्न करने, एवं अनाधिकृत रूप से प्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल कर कब्जा करने पर सख्त आमादा है जिसमें यदि व सफल हो गये तो प्रार्थीगण अपने पूर्वजो से विरासत में प्राप्त पुश्तैनी खातेदारी/कब्जे काश्त की आराजीयात से महरूम हो जायेगे, जिससे प्रार्थीगण को अपूर्वनीय क्षति कारित होगी। सर्वप्रथम वाद कारण दिनांक 6.6.2019 तब उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण मौके पर आए और प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की आराजी में नीवे खोदना प्रारम्भ किया । जिसकाविरोध करने पर वे प्रार्थीगण को मारने पर उतारू हो गये ओर उन्होनें प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी कि उक्त वादग्रस्त आराजी से हम तुमको बेदखल कर देगे, तुम्हारी खातेदारी की आराजी को अन्यत्र बेचान कर तुम्हे तुम्हारी पुश्तैनी आराजी से महरूम कर देगें। जिसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान् पुलिस अधीक्षक अजमेर के समक्ष दिनांक 13.6.2019 को एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । उक्त अवैध कृत्य दिनांक 6.6.2019 से आज दिनांक तक लगातार चला आ रहा है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर उक्त आराजियात पर प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी व मदाखलत उत्पन्न करने एवं बेदखली का नाजायज प्रयास करने तथा बिना कब्जे के रहन, बेचान, मुंतकिल करने एवं बिना न्यायिक बंटवारा कराए भूमि के विशिष्ट भू–भाग के प्लाट काटकर, पक्का निर्माण कर, बेचान करने तथा भूमि की किस्म एवं शक्ल परिवर्तित करने से अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेघाज्ञा ताफैसला पाबंद फरमाये ।

अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही कर मौखिक रूप से प्रार्थना पत्र के कथनों को अस्वीकार कर मूल वाद में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन करवाते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं उनके अन्य सहखातेदार द्वारा प्रकरण में वर्णित भूमि को भूखण्डो के रूप में विभाजित करते हुए पृथक–पुथक विक्रय कर दी गई है जिन पर केतागण खरीद की दिनांक से आज दिवस तक मकान निर्मित कर इसके वास्तविक उपयोग उपभोग कब्जे में चले आ रहे है

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

जिनको विधिक जानकारी के उपरान्त भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वर्तमान प्रकरण में पक्षकार सयोजित नही किया गया ऐसी स्थिति में विवादित भूमि के सवंध में अस्थाई निषेघाज्ञा प्रसारित की जाती है तो सीधे तौर पर केतागण के हित प्रभावित होगे साथ ही बहस में निवेदन किया कि अप्रार्थी एवं प्रार्थीगण की भूमि पृथक–पृथक होकर ग्राम किरानीपुरा व थोक तेलियान में अवस्थित करती है परन्तु दोनो ही गांवो की सीमाओ सें लगते हुए उक्त भूमि अवस्थित करने में प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी 1 व 2 की भूमि पर कब्जा किए जाने की वदनियती पूर्वक मूल वाद व वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो तथ्य वर्तमान अप्रार्थी 3 द्वारा दिनांक 5.7.2019 को प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी पृकट होते है। प्रार्थीगण द्वारा केवल मात्र विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज नही होने का अविधिक रूप से फायदा उठाते हुए राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी के आधार पर बनाया जाकर मूल वाद प्रस्तुत किया है जबकि प्रस्तुत विक्रय पत्रों के तहत विवादित भूमि को भूखण्डो के रूप में विभाजन कर विक्रय कर दिये जाने से धारा 63 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थीगण एवं उनके सहखातेदार के हक व आधिपत्य समाप्त चुके है । इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में विधमान नही करता है । साथ ही प्रस्तुत विक्रय पत्रो के परिपेक्ष्य में प्रकरण प्रस्तुत किये जाने से पूर्व भूमियों को भूखण्डो में विक्रय कर दिये जाने से सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में विघमान नही करता है तथा केतागण को पक्षकार बनाए बिना किसी प्रकार की अस्थाई निषेघाज्ञा प्रसारित की जाती है तो अपूणीय क्षति भी प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थी 1 व 2 एवं केतागण को होगी। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज फरमावे ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड दस्तावेज का सादर अवलोकन किया । पत्रावली पर प्रस्तुत फोटो प्रतियॉ विक्रय पत्र दिनांक 26.2.2018, 1.6.17, 23.7.07, 16.3.07, 18.7.07, 4.7.07, 9.7.07, 29.11.09 से प्रथम दृष्टया विवादित भूमि में से प्रार्थीगण व सहखातेदार द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही विवादित भूमि को भूखण्डो में विभाजित कर विक्रय किया जाना सिद्व होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रमाणित नही है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरान्त

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

भी केता को पक्षकार नही बनाया है एवं भूमि को भूखण्डो में विभाजित कर विक्रय किए जाने तथ्य भी न्यायालय में छुपाए गए है । ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित नही होने से प्रार्थीगण सम्मयता का अनुतोश प्राप्त करने के अधिकारी नही होने से प्रकरण वाद के गुणावगुण पर किसी प्रकार कि टिप्पणी किए बिना प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 उपरोक्त विवेचनानुसार अस्वीकार किए जाने योग्य है।

परिणामतः उपरोक्त विवेचन विशलेषण वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

आदेश आज दिनांक 09.9.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Artika Shukla
Date: 2019.11.06 11:27:12 IST
Reason: SelfAttested
Location: